

**भारत सरकार**  
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 5654**  
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

**पीएमएमवी योजना**

5654. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) चलाई जा रही है;
- (ख) यदि हां, तो विशेषकर उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख तक की इसकी स्थिति क्या है; और
- (ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार कुल कितनी केन्द्रीय निधि आबंटित की गई है और उक्त निधि के उपयोग का ब्यौरा क्या है और उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित इसमें लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

**उत्तर**  
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**  
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

**(क) :** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिनांक 01.01.2017 से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के अधिकारियों के माध्यम से देश भर में (ओडिशा और तेलंगाना को छोड़कर) प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5,000/- रुपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी

सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति लाभ के लिए अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन प्राप्त होता है ताकि एक महिला को औसतन 6000/- रुपये प्राप्त हों। दूसरे बच्चे के लिए पात्र लाभार्थियों को पीएमएमवीवाई के तहत 6,000/- रुपये का नकद प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो।

**(ख):** पीएमएमवीवाई की शुरुआत से लेकर 31.03.2025 तक की स्थिति इस प्रकार है:

	नामांकित लाभार्थी (लाख में)	लाभार्थियों को भुगतान किया गया (लाख में)	संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)
भारत	437.49	390.23	17,982.59
उत्तर प्रदेश	67.25	61.61	2,734.76
शाहजहाँपुर जिला	1.22	1.16	51.02

**(ग):** पीएमएमवीवाई के अंतर्गत जारी की गई और उपयोग की गई केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

नामांकित लाभार्थियों, भुगतान किए गए लाभार्थियों और संवितरित राशि का ब्यौरा **अनुलग्नक-ख** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**“पीएमएमवी योजना” के संबंध में 04.04.2025 को लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5654 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

**अनुलग्नक- क**

**पीएमएमवीवाई के अंतर्गत जारी की गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा**

**(करोड़ रुपए में)**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.19	0.71	0.18	0.74	0.00	0.40	0.33
2.	आंध्र प्रदेश	20.22	14.43	71.89	95.81	57.99	42.80	44.96
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.56	6.31	1.43	2.29	0.00	0.57	1.98
4.	असम	35.47	95.78	79.18	80.37	155.05	62.33	77.07
5.	बिहार	211.74	189.52	171.74	216.2	0.00	31.70	141.53
6.	चंडीगढ़	1.89	2.27	0.62	0.05	4.08	1.35	0.00
7.	छत्तीसगढ़	38.66	34.78	72.75	44.99	0.00	19.03	68.72
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0.04	1.84	1.64	0.91	1.37	2.44
9.	गोवा	1.09	0.73	1.61	1.12	0.00	0.4	1.86
10.	गुजरात	46.32	25.13	10.75	94.37	75.64	38.92	72.48
11.	हरियाणा	40.02	40.91	63.66	44.57	0.00	2.97	33.30
12.	हिमाचल प्रदेश	21.17	18.88	14.19	16.23	10.56	3.68	26.85
13.	जम्मू एवं कश्मीर	39.34	32.84	20.60	24.43	33.60	2.82	41.90
14.	झारखंड	58.39	35.24	29.27	27.97	0.00	15.80	39.31
15.	कर्नाटक	142.77	72.57	148.87	210.10	113.96	39.00	159.96
16.	केरल	53.37	57.5	53.96	45.93	61.06	20.33	0.00
17.	लद्दाख	0.38	0.36	0.31	0.07	0.69	0.85	0.62
18.	लक्षद्वीप	0.17	0.11	0.01	0.00	0.23	0.11	0.27
19.	मध्य प्रदेश	130.29	102.19	204.02	101.21	105.51	95.27	257.00
20.	महाराष्ट्र	99.50	149.02	240.83	152.86	0.00	26.84	141.17
21.	मणिपुर	1.15	2.90	3.45	3.45	7.93	4.08	0.00
22.	मेघालय	5.08	6.06	6.26	6.04	0.00	6.38	3.45
23.	मिजोरम	2.90	2.99	1.99	1.78	1.40	1.94	2.55
24.	नागालैंड	4.98	2.12	2.03	6.95	2.42	1.91	4.18
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	28.31	25.82	31.46	27.47	27.15	11.07	20.08
26.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.48
27.	पुदुचेरी	2.39	2.98	1.96	1.82	0.00	0.05	1.76
28.	पंजाब	16.47	9.9	18.82	34.54	32.05	29.72	32.03
29.	राजस्थान	108.20	98.26	81.84	114.15	123.23	56.33	98.17
30.	सिक्किम	0.42	0.44	0.70	1.11	1.28	0.37	0.00
31.	तमिलनाडु	52.31	111.21	68.03	75.81	0.00	63.29	95.62

32.	त्रिपुरा	6.04	4.49	3.27	4.71	11.31	2.75	5.42
33.	उत्तर प्रदेश	290.85	199.7	500.68	384.53	0.00	74.79	0.00
34.	उत्तराखंड	20.71	23.28	16.69	7.10	30.35	19.68	26.41
35.	पश्चिम बंगाल	46.94	0.00	63.22	39.09	0.00	0.58	0.00

नोट:

1. तेलंगाना सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई योजना को कार्यान्वित नहीं कर रही है।
2. ओडिशा सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई योजना को शुरू करने की प्रक्रिया में है।
3. उपयोग की गई राशि, जारी की गई राशि से अधिक हो सकती है क्योंकि इसमें पिछले वर्षों की अप्रयुक्त राशि शामिल हो सकती है।
4. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उपयोग प्रमाणपत्र अभी देय नहीं है।

**“पीएमएमवी योजना” के संबंध में 04.04.2025 को लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5654 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

**अनुलग्नक- ख**

**पीएमएमवीवाई के तहत नामांकित लाभार्थियों, भुगतान किए गए लाभार्थियों और संवितरित राशि का ब्यौरा**

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
		नामांकित लाभार्थी	लाभार्थी को भुगतान किया गया	संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)	नामांकित लाभार्थी	लाभार्थी को भुगतान किया गया	संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)	नामांकित लाभार्थी	लाभार्थी को भुगतान किया गया	संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)	नामांकित लाभार्थी	लाभार्थी को भुगतान किया गया	संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)
1.	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	1100	998	0.46	1213	1291	0.62	1848	856	0.37	1170	1404	0.46
2.	आंध्र प्रदेश	157704	49426	17.71	260731	392312	187.04	260847	150288	64.20	182369	314404	116.22
3.	अरुणाचल प्रदेश	3305	3315	1.54	4685	4533	2.06	5774	1399	0.63	3368	4879	2.05
4.	असम	191438	225412	109.85	176196	179829	89.30	288465	160354	69.26	230322	279883	117.30
5.	बिहार	396376	401223	184.41	696210	731838	341.13	464901	101686	39.80	737045	802894	324.74
6.	चंडीगढ़	5637	5189	2.27	5197	5868	2.82	3725	3038	1.35	3321	4307	1.63
7.	छत्तीसगढ़	140400	136580	57.05	138040	160786	73.31	172100	83540	31.58	208467	389013	138.53
8.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2870	3295	1.39	3758	4199	2.01	3458	2845	1.21	3724	8610	2.83
9.	दिल्ली	75623	95278	42.03	81732	84713	41.10	84598	42130	18.46	75567	107770	44.74
10.	गोवा	3956	2710	1.27	4998	6648	2.94	6684	1486	0.65	3021	8743	3.29
11.	गुजरात	163616	90125	25.13	269023	254947	95.15	299481	158132	64.87	219573	477012	173.00
12.	हरियाणा	113909	147893	68.96	145399	154175	76.39	102043	12624	4.86	107332	149956	63.25
13.	हिमाचल प्रदेश	40682	42025	20.25	40170	44220	22.53	45790	9315	3.78	43554	57776	22.38
14.	जम्मू और कश्मीर	60790	84316	39.64	61944	56049	27.46	73448	13012	5.09	84783	141120	58.00
15.	झारखंड	113105	130732	58.73	135569	91961	43.66	143494	64824	26.20	112494	245991	91.06
16.	कर्नाटक	399447	302156	139.56	339943	597325	293.39	395482	164345	65.01	476159	729323	295.56
17.	केरल	169280	204888	94.18	148258	152962	75.24	149124	76924	33.45	120876	236039	84.42

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
		नामांकित लाभार्थी	लाभार्थी को भुगतान किया गया	संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)	नामांकित लाभार्थी	लाभार्थी को भुगतान किया गया	संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)	नामांकित लाभार्थी	लाभार्थी को भुगतान किया गया	संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)	नामांकित लाभार्थी	लाभार्थी को भुगतान किया गया	संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)
18.	लद्दाख	717	744	0.36	629	699	0.29	1652	1400	0.64	1829	2510	0.98
19.	लक्षद्वीप	311	289	0.11	11	70	0.02	989	531	0.20	652	994	0.34
20.	मध्य प्रदेश	589374	599733	271.54	557765	570016	280.38	646710	418306	162.53	630329	1298493	441.07
21.	महाराष्ट्र	647779	570602	257.47	587998	691219	326.11	360928	93891	37.17	500092	538936	209.89
22.	मणिपुर	6419	6886	3.21	6494	6494	3.14	12062	7685	3.70	19141	19812	9.44
23.	मेघालय	9746	10570	4.86	10459	10330	4.78	10019	3818	1.96	15440	15449	7.42
24.	मिजोरम	6037	5981	2.89	6851	6817	3.17	6734	2423	1.12	5724	3772	1.81
25.	नागालैंड	4556	4181	2.09	5265	5532	2.73	6536	2473	1.16	8576	9274	4.51
26.	पुदुचेरी	5791	6390	2.97	5812	6368	3.03	7065	243	0.09	4638	12918	5.10
27.	पंजाब	81212	47089	19.11	91021	141304	68.40	126948	83221	39.47	104650	203913	79.42
28.	राजस्थान	347208	334830	147.92	381712	405991	181.39	390421	186182	73.48	393550	915462	304.80
29.	सिक्किम	2400	1781	0.83	2325	2845	1.07	9941	898	0.41	3277	3068	1.43
30.	तमिलनाडु	359253	178547	108.60	364175	135752	84.21	168418	286823	105.49	95337	537054	111.55
31.	त्रिपुरा	15188	12538	5.35	16796	21027	10.04	17470	7690	3.05	19860	42422	15.96
32.	उत्तर प्रदेश	993093	702993	326.31	1027521	1424694	660.59	642985	277011	124.65	193457	303300	137.58
33.	उत्तराखंड	61063	46211	22.77	47615	67387	28.00	68694	48451	19.08	85727	117431	42.06
34.	पश्चिम बंगाल	61437	102	0.04	532889	868049	394.17	400453	0	0.00	1,52,999	0	0.00

नोट:

1. तेलंगाना सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई योजना को कार्यान्वित नहीं कर रही है।
2. ओडिशा सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई योजना को शुरू करने की प्रक्रिया में है।
3. भुगतान किए गए लाभार्थियों की संख्या किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकित लाभार्थियों की संख्या से अधिक हो सकती है, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्षों में पंजीकृत कुछ लाभार्थियों ने अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान प्राप्त किया है।
4. यह जानकारी पीएमएमवीवाई पोर्टल (<https://pmmvy.wcd.gov.in>) से ली गई है।

-X-X-X-X-